

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

क्रमांक

/राजपत्र/शुल्क/2022-23

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा राजस्थान राजपत्र की अधि सूचना मुद्रण/4(96)03/पार्ट I ई-गजट/5269 दिनांक 21.10.2019 के आदेशानुसार सर्व साधारण निजी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के लिए साधारण एवं असाधारण राजपत्र के ई-गजट प्रकाशन शुल्क वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निम्न प्रकार दरें निर्धारित की जाती है।

1. असाधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ- 3075
2. साधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ- 1538

उक्त दरें 01.04.2023 से प्रभावी होगी।

841
4/3/2023

अधीक्षक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।
2. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. अधीक्षक क्लर्क(ASE) रा.के.मु. जयपुर।
4. प्रभारी असाधारण राजपत्र प्रकाशन शाखा।
5. प्रभारी राजपत्र।
6. नोटिस बोर्ड(मुद्रणालय/निदेशालय) पर चस्पा हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Chandra
Sharma

Designation : Superintendent

Date: 2023.03.09 16:58:48 IST

Reason: Approved